प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 17.02.2026

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में एक व्यक्ति से गाली-गलौच व मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 17.02.26 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से सूचना मिली कि 02 व्यक्ति सोनू शर्मा व हिमांशु निवासी खोड़ा कालोनी द्वारा 01 व्यक्ति से गाली-गलौच व मारपीट करने के सम्बन्ध में उक्त वीडियो को संज्ञानित करते हुए थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त 1.हिमांशु पुत्र महावीर निवासी गली नं 01 आईटीआई के पीछे लोकप्रिय विहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. सोनू शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी अनिल विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को अनिल विहार खोड़ा कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. हिमांशु पुत्र महावीर निवासी गली नं 01 आईटीआई के पीछे लोकप्रिय विहार थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. सोनू शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी अनिल विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण हिमांशु व सोनू शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मन्दिर में चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 दानपात्र व दानपात्र से चोरी हुए कुल रुपये में से 1700/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 15.02.2026 को वादी श्री हरिप्रसाद शर्मा पुत्र देवीराम शर्मा निवासी प्राचीन शिव मंदिर छाबडा कालोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 15.02.2026 को महा शिवरात्रि के पावन पर्व पर रात्रि में प्राचीन शिव मन्दिर छावडा कालोनी में एक अज्ञात व्यक्ति मन्दिर के अन्दर घुसकर मन्दिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर मन्दिर में रखा पैसों से भरा दानपात्र उखाड़कर चोरी करके ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 331(4)/305 बीएनएस

के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 16/17.02.2026 को रात्रि को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1.अलामीन पुत्र नत्थू निवासी सीएनजी वाली गली बंगाली कालोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2.इरफान पुत्र मुमताज निवासी नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को फार्म हाऊस के बराबर वाली गली में कूढा खत्ता के ढेर शालीमार गार्डन के पास से मन्दिर का दानपात्र व दानपात्र से चोरी किये कुल 1700 रु के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 15.02.2026 की रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आस-पास छावडा कालोनी मे स्थित प्राचीन मन्दिर के गेट का ताला तोड़कर हम दोनो ने वहां पर रखा दान-पात्र चुरा लिया था जिसमें हमें 7060 रुपये मिले जिसको आधा-आधा बाँट कर हमने उसमें से कुछ पैसे नशे का सामान खरीदकर खर्च कर लिए तथा हम दोनो पर केवल 1700/- रुपये बचे है जो हमारी जेब से मिले है यह वही 1700 रु है और हम दोनो नशा करने के लिये चोरी करते है। हमसे गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अलामीन पुत्र नत्थू निवासी सीएनजी वाली गली बंगाली कालोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
2. इरफान पुत्र मुमताज निवासी नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01 दानपात्र व दानपात्र से चोरी हुए कुल रुपये में से 1700/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में सरिया चोर गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कब्जे से कम्प्यूट्रीकृत धर्मकांटे में प्रयुक्त होने वाली 02 इलेक्ट्रॉनिक चिप व इलेक्ट्रॉनिक चिप को ऑपरेट करने वाले 10 अदद रिमोट, चोरी का सरिया को ढोने में उपयोग में लाये जा रहे फर्जी नम्बर प्लेट लगे 03 अदद 18 टायरा ट्रक ट्रॉले, जिनमें लदा 44,550 किलोग्राम चोरी का सरिया व घटना में प्रयुक्त ग्राण्ड विटारा कार व टेस्टिंग मशीन सहित अन्य उपकरण बरामद।

दिनाँक-08/02/2026 को थाना वेव सिटी पर आदित्य वर्ल्ड सिटी मे निर्माणाधीन आदित्य कुटुम्बकम परियोजना में निर्माण कार्य के दौरान कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाँटा मे इलैक्ट्रोनिक चिप लगाकर हेरा-फेरी कर कम्पनी के कर्मचारी व उसके अन्य साथियो के द्वारा सरिया चोरी करने के की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-32/2026 धारा-318(4)/345(3)/338/ 336(3)/340(2)/ 61(2)(I)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

दिनाँक-09/02/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में कार्यवाही में सरिया चोरी की घटना में संलिप्तता पाये जाने पर आदित्य वर्ल्ड सिटी के कर्मचारी श्रवण को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक-10/02/2026 को उक्त अभियोग मे अभियुक्त बाबर मलिक पुत्र अय्यूब मलिक निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद को 03 अदद ट्रक ट्रॉला 18 टायरा मे चोरी के 7800 किलोग्राम सरिया व फर्जी बिल्टी, इलैक्ट्रोनिक चिप मय रिमोट व ओरा कार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त सरिया चोरी प्रकरण में प्रकाश मे आये अभियुक्त आफताब को दिनांकः-16.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर मेरठ मोड से ग्राण्ड विटारा कार न0-UP14GD4914 में स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 02 इलैक्ट्रोनिक चिप. 10 अदद चिप ऑपरेट करने वाले रिमोट, शोल्डरिंग वायर, टेस्टिंग मशीन, चोरी के सरिये के 02 फर्जी बिल बिल्टी व अन्य उपकरण बरामद हुए थे। अभियुक्त आफताब उर्फ अफजाल की निशादेही पर हमदर्द ग्राउण्ड की पार्किंग के पास लोहिया नगर थाना क्षेत्र सिहानीगेट से फर्जी नम्बर प्लेट लगे 03 ट्रक ट्रॉला मय 44,550 किलोग्राम चोरी किये हुए सरिये सहित अन्य 03 सह अभियुक्त ट्रक ड्राईवरों को गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> गिरफ्तार अभियुक्त आफताब उर्फ अफजाल ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2006 में अपनी बुआ के लडके हसमत के साथ ट्रक क्लीनर का काम किया था। 03 वर्ष काम करने के बाद ट्रक चलाना सीख लिया था। वर्ष 2008 में बुआ के लडके हसमत के जानकार अमित नागर (ट्रॉन्सपोर्टर) के यहाँ लोहा मण्डी गाजियाबाद में ट्रक ट्रॉला को 10,000 रू0 प्रतिमाह पर चलाता था। वर्ष 2018 में सरिया चोरी में थाना मसूरी से जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद वर्ष 2020 में मोरटा के एक ट्रान्सपोर्टर के यहाँ ट्रक ट्रॉला चलाना शुरू किया। उसी दौरान अपने साथी शम्शू व उसके अन्य साथियो के साथ थाना मसूरी क्षेत्र मे सरिया लूट की घटना को अंजाम दिया था जिसमे थाना मसूरी पुलिस द्वारा आफताब, शम्शू, रियाज व अन्य साथियों को सरिया लूट की घटना मे जेल भेजा गया था। 06 माह बाद जेल से छूटने के बाद अपने साथी इमरान के साथ मिलकर पुनः जनपद-अलीगढ के गभाना क्षेत्र से सरिया से भरे ट्रक की लूट की घटना को अंजाम दिया था जिसमे थाना गभाना जनपद-अलीगढ पुलिस द्वारा आफताब को उसके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अलीगढ जेल से वापस आने के बाद वर्ष 2022 में अभियुक्त आफताब उर्फ अफजाल की मुलाकात साजिद व राशिद प्रधान निवासी आहार बाँगर जनपद बु0शहर से हुई । उन्ही के साथ धर्मकाँटे पर इलैक्ट्रोनिक चिप लगाकर सरिया की तौल मे हेरी-फेरी कर सरिया चोरी करने की कई घटनाओं को अंजाम देना प्रारम्भ कर दिया तथा ऑल ग्रेस प्लाण्ट, झबीरन, देवबन्द, सहारनपुर से अपने साथी हिमाँशु, साजिद व राशिद प्रधान के साथ सरिया चोरी की घटना में थाना देवबन्द से जेल जाना बताया। वर्ष 2023 मे जेल से वापस आने के बाद अभियुक्त आफताब की मुलाकात बाबर मलिक व राजू उर्फ राजकुमार अधाना से हुई जिसके साथ

मिलकर लगातार जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मु0नगर, सहारनपुर, अलीगढ, बु0शहर व उत्तराखण्ड मे कम्प्यूट्रीकृत धर्मकाँटों में इलैक्ट्रोनिक चिप लगाकर सरिया चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।

राजू उर्फ राजकुमार अधाना के साथ सरिया चोरी में पार्टनर्शिप मे काम कर रहा था। चोरी का सरिया बेचने मे जो भी मुनाफा आता था, उसे दोनो आपस मे बराबर-बराबर बाँट लेते है। **राजू उर्फ राजकुमार अधाना सरिया व स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना का सगा ममेरा भाई है।**

गिरफ्तार अभियुक्त आफताब उर्फ अफजाल से पूछताछ के दौरान उक्त सरिया चोरी से प्राप्त अवैध धन से अब तक कई जमीन / मकान व कई 18 टायरा ट्रक ट्रॉला व चार पहिया गाडी का क्रय किया जाना प्रकाश मे आया है जिनके सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। निकट भविष्य में इनके जब्तीकरण की कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1.आफताब उर्फ अफजाल पुत्र दीन मौहम्मद निवासी अबूबकर मस्जिद के पास इशाकनगर डासना थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

2.शाहरुख पुत्र शहजाद निवासी ग्राम बादौली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर उम्र-23 वर्ष

3.नईम पुत्र नजर मौहम्मद निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र-24 वर्ष

4.वासिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र-25 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.चोरी का सरिया – 44550 किलोग्राम

2.चोरी का सरिया को ढोने में प्रयुक्त - 03 अदद ट्रक

3.फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट- 02 अदद

4.धर्मकांटे पर वजन की हेरा फेरी करने में प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक चिप - 02 अदद

5.इलैक्ट्रोनिक चिप के रिमोट- 10 अदद

6.ग्राण्ड विटारा कार रंग सफेद रजि0 नं0 UP14GD4914

7.चोरी के सरिया के फर्जी बिल – 02 अदद

8.शोल्डरिंग वायर- 01 अदद

9.पोर्टेबल शोल्डर आयरन- 02 अदद

10.टेस्टिंग मशीन-01 अदद

11.शोल्डर आयरन- 01 अदद

12.सरिये की हुकनुमा रॉड- 02 अदद

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1.**आफताब उर्फ अफजाल पुत्र दीन मौहम्मद निवासी उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 032/2026 धारा 318(4)/345(3)/338/336(3)340(2)/61(2)(l)/317(2) बीएनएस थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.मु0अ0सं0 160/2023 धारा 411/414 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

3.मु0अ0सं0 104/2020 धारा 307 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ

4.मु0अ0सं0 105/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गभाना जनपद अलीगढ

5.मु0अ0सं0 79/2019 धारा 392/411 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ

6.मु0अ0सं0 535/2019 धारा 395/412 भादवि थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

7.मु0अ0सं0 537/2019 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

8.मु0अ0सं0 539/2019 धारा 30/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

9.मु0अ0सं0-655/2019 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट भादवि थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

10.मु0अ0सं0 480/18 धारा 419/420 भादवि व 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद । उक्त अभियोग में अभियुक्त आफताब के साथ पुलिस कर्मी भी गिरफ्तार हुए थे।

11.मु0अ0सं0 481/18 धारा 411/414 भादवि व 41 द0प्र0सं0 थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.**वासिद पुत्र साहिल निवासी उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0-032/2026 धारा-318(4)/345(3)/338/336(3)340(2)/61(2)(l)/317(2) बीएनएस थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.मु0अ0सं0 447/2020 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)/5(A) एससी/एसटी एक्ट थाना धौलाना जनपद हापुड

3.**शाहरूख खान पुत्र शहजाद निवासी उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 032/2026 धारा 318(4)/345(3)/338/336(3)340(2)/61(2)(l)/317(2) बीएनएस थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

4.**नईम पुत्र नजर मौहम्मद निवासी उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 032/2026 धारा 318(4)/345(3)/338/336(3)340(2)/61(2)(l)/317(2) बीएनएस थाना वेवसिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना वेवसिटी, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

पुरस्कार- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय / अपराध द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु 50,000/- रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 16.02.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की पुत्र इन्दरपाल धामा निवासी सैम्पल हाउस के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने ये तमंचा अपना रौब दिखाने व लोगों को डराने - धमकाने के लिए अपने पास रखा हुआ था। मेरे ऊपर कई मुकदमे चल रहे है तथा पहले भी मैं कई बार जेल गया हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निखिल उर्फ निक्की पुत्र इन्दरपाल धामा निवासी सैम्पल हाउस के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आर्म्स एक्ट के संबंध में 03 अभियोग, लूट के 02 अभियोग, डकैती के 03 अभियोग, हत्या के प्रयास के 02 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग, गुण्डा अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम